

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 1998 (श्रावण 9, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित, भोपाल का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित -

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ.1-11-97-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 मई, 1998,

(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ.1-50 (1)-95-बाईस-पं.-2, शुद्धि पत्र दिनांक 26 मई 1998,

(ग) अधिसूचना क्रमांक एफ-1-50(2)-95-बाईस-पं.-2, शुद्धि पत्र दिनांक 26 मई, 1998; तथा

(घ) अधिसूचना क्रमांक एफ.1-50(3)-95-बाईस-पं.-2, शुद्धि पत्र दिनांक 26 मई, 1998,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-41-98-विक-पांच (22), दिनांक 14 मई, 1998 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, जल संसाधन मंडल रायपुर, दुर्गा में निविदा स्वीकृति में अनियमितता होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर के आंगनवाड़ी केन्द्रों में घटिया पौष्टिक आहार प्रदाय किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामबरन सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर एवं सागर दुग्ध संघ के कर्मचारियों को वेतन न मिल पाने की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम चंदनहारी से हिनीतिया मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री बच्चन नायक, लक्ष्मीकांत शर्मा, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, झाबुआ जिला जेल से अनेक कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री कमल पटेल, ईश्वरदास रोहाणी, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़वानी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, पशु चिकित्सा संचालनालय द्वारा तरल नत्रजन खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पशुधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के बैरसिया रोड स्थित कृषि उपज मंडी हेतु अधिगृहीत भूमि पर अवैध कब्जा होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर स्थित महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय में घटिया स्तर की दवायें पाये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित हमीदिया चिकित्सालय के बच्चों के सामान्य वार्ड में भर्ती बच्चों की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री अखंड प्रताप सिंह, चतुरीलाल बराहदिया, डॉ. नरेश सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अपहरण की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

